स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह रोड़, जयपुर

(Phone : 0141-2565087, Website : www.agriculture.rajasthan.gov.in/rswc, e-mail : rswcho@gmail.com)

क्रमांक : प्रका / प्रशा. / एफ.12(69)2020 /   दिनांक :   .06.2020

नवीनतम

फोटो

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित

जन्मतिथि ...., चयन का प्रवर्ग ....

विषय :– भण्डार प्रबन्धक के पद पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर नियुक्ति पत्र।

निगम में भण्डार प्रबन्धक के पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 10310 दिनांक 30.07.2019 के क्रम में आयोजित लिखित परीक्षा दिनांक 05.10.2019 में सफल होने के उपरान्त राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टॉफ) रेगूलेशन्स, 1974 के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा चयन हेतु की गई अभिशंषा के अनुसरण में यदि आप द्वारा निम्नांकित शर्तों को पूरा किया जाता है एवं स्वीकार किया जाता है तो निगम द्वारा आपको भण्डार प्रबन्धक के पद पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है:–

1. आपकी नियुक्ति भण्डार प्रबन्धक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में अस्थाई आधार पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियत फिक्स पारिश्रमिक रुपये 31100 / – (अक्षरे इक्तीस हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह पर होगी।

2. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम खण्ड) अधिसूचना सं. प.15(1)एफडी(रूल्स)2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा काल दो वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा पे–मैट्रिक्स लेवल–12 हेतु नियत 31100 / – रुपये प्रतिमाह फिक्स पारिश्रमिक देय होगा। परिवीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा। परिवीक्षाकाल में कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में आपका भण्डार प्रबन्धक के पद की नियमित पे–मैट्रिक्स लेवल–12 में न्यूनतम पे–लेवल के प्रथम शेल पर वेतन नियत किया जायेगा। निगम की राय में आपका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाये जाने अथवा यह प्रतीत हो कि आप में एक दक्ष भण्डार प्रबन्धक होने की क्षमता नहीं है तो आपको सेवा से तत्काल विमुक्त कर दिया जावेगा।

3. वित्त विभाग (नियम खण्ड) अधिसूचना सं. प.15(1)एफडी(रूल्स)2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षाकाल में आपको नियत फिक्स पारिश्रमिक 31100/– रुपये प्रतिमाह देय होगा तथा इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूति भत्ता एवं एडहॉक बोनस इत्यादि देय नहीं होंगे।

4. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003 (पेंशन 5/05) दिनांक 02.08.2005 एवं एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं समय–समय पर हुये संशोधनों के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे और दिनांक 01.01.2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन (NPS) योजना लागू होगी।

5. यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेगें।

6. आपकी सेवाएँ राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टॉफ) रेगूलेशन्स, 1974 के अन्तर्गत शासित होंगी।

7. राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(4)एफडी(रूल्स)99/(आर.एस.आर.1/04) दिनांक 14.01.2004 के अनुसार आप पर चिकित्सा परिचर्या नियम लागू नहीं होंगे।

8. भण्डार प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति हेतु ज्वाइनिंग के लिए आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. परीवीक्षा काल में पूर्ण कलेण्डर अवधि में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा परन्तु एक वर्ष की अवधि से कम अवधि होने पर प्रतिमाह के हिसाब से आनुपातिक आधार पर आकस्मिक अवकाशों की गणना की जाएगी।

10. आपकी नियुक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि आप बिना किसी शर्त के नियुक्ति पत्र पर अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करेंगे तथा निगम के सक्षम अधिकारी/वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी नियम/विनियम स्थायी आदेश, निर्देश, अनुदेश की सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत एवं पूर्ण लगन से पालना करेंगे।

11. आपकी नियुक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि आप निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज मय नियुक्ति पत्र पर सहमति अंकित कर नियुक्ति पत्र इत्यादि निर्धारित तिथि में ड्यूटी ज्वाइन करते समय प्रस्तुत करेंगें अन्यथा आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं होगी :–

(i) जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र (चैक लिस्ट के अनुसार संलग्न है)।

(ii) सक्षम राजकीय चिकित्सा अधिकारी से नियमानुसार प्राप्त स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि आप भण्डार प्रबन्धक के पद पर कार्य करने के लिए सक्षम हैं (प्रपत्र की प्रति संलग्न है)

(iii) दो सम्माननीय व्यक्तियों के नाम व पते, जो आप से पूर्णतया परिचित हों, परन्तु आपके रिश्तेदार न हों।

(iv) निगम द्वारा निर्धारित निष्ठा एवं गोपनीयता का घोषणा–पत्र (प्रपत्र की प्रति संलग्न है)।

(v) संलग्न अटेस्टेशन फार्म दो प्रतियों में भरकर, हस्ताक्षर कर एवं राजपत्रित अधिकारी/सदस्य विधानसभा/सदस्य लोकसभा/सदस्य राज्यसभा से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।

(vi) कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र–ए में शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित प्रस्तुत करना होगा।

(vii) इस नियुक्ति पत्र की एक प्रति पर अंकित घोषणा पर अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करें और अपना फोटो चिपका कर उसे किसी राजपत्रित अधिकारी/सदस्य विधानसभा/सदस्य लोकसभा/सदस्य राज्यसभा से प्रमाणित करवाकर तथा उनके पद की मोहर लगवाकर प्रस्तुत करें।

12. आप द्वारा इस नियुक्ति आदेश के संलग्न सत्यापन प्रपत्र (Attestation Form) में, दी गई किसी भी जानकारी/दस्तावेज के भ्रामक/असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

13. निगम के कार्यों से सम्बन्धित जो भी जानकारी आपको होगी, वह किसी अन्य बाहर की संस्था/ व्यक्ति को नहीं बताएंगे एवं पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाये रखेंगे।

14. निगम की सेवा में रहते आप अन्य कोई नौकरी/व्यापार आदि नहीं करेंगे।

15. निगम के किसी भी भण्डारगृह/कार्यालय में कभी भी आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकेगा और अपनी ड्यूटी निर्दिष्ट आदेशों के अनुसार ज्वाईन करेंगे।

उपरोक्त नियुक्ति पत्र आपको दो प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है। यदि आप उपरोक्तानुसार नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों से सहमत हो तो आप वांछित प्रमाण–पत्र लेकर मय नियुक्ति पत्र की एक प्रति पर अपनी सहमति अंकित कर राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर के कांफ्रेस कक्ष में दिनांक 22.06.2020 को प्रातः 9.00 बजे डयूटी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(पवन कुमार गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

<u>संलग्न (वेब साइट पर भी उपलब्ध) :–</u>

1. नियुक्ति पत्र (दो प्रतियाँ)।
2. निष्ठा एवं गोपनीयता का घोषणा–पत्र।
3. दस्तावेज सत्यापन चैक लिस्ट।
4. मेडीकल प्रमाण–पत्र का प्रारूप।
5. अटेस्टेशन फार्म (दो प्रतियों में)।
6. चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र।
7. ग्रेच्यूटी हेतु मनोनयन।
8. पदस्थापन हेतु प्राथमिकता का क्रम भरने हेतु।

घोषणा

मैंने उपरोक्त शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ ली हैं और वे मुझे पूरी तरह से मान्य हैं। उक्त शर्तों पर मैं भण्डार प्रबन्धक के पद पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ। निगम द्वारा चाहे गए प्रमाण–पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चल रहा है तथा अभी तक मुझे किसी भी फौजदारी मामले में न तो सजा हुई और न ही जुर्माना हुआ है।

पूरे हस्ताक्षर, नाम, स्थान एवं दिनांक